इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 499] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2021—अग्रहायण 30, शक 1943

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2021

क्र. 19937-मप्रविस-15-विधान-2021.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2021 (क्रमांक 35 सन् 2021) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तद्नुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३५ सन् २०२१

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- ५) विधेयक, २०२१

वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-५) अधिनियम, २०२१ है.

वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये २,१५,८४,५८,४०,६४५ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये इक्कीस हजार पांच सौ चौरासी करोड़ अट्ठावन लाख चालीस हजार छः सौ पैंतालीस होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत् वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपयों में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन		(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा मतदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			रुपये	रुपये	रुपये
.	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा				
		राजस्व	०	२५,११,३२,८०,०००	२५,११,३२,८०,०००
००१.	सामान्य प्रशासन				
		राजस्व	२५,५०,२००	३१,११,०००	५६,६१,२००
		पूंजी	२६,७६,५०,०००	०	२६,७६,५०,०००
००२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय				
		राजस्व	१७,००,०००	०	१७,००,०००
००३.	पुलिस				
		राजस्व	५०,००,१००	०	५०,००,१००
		पूंजी	१,००,००,००,०००	०	१,००,००,००,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
००५.	जेल				
		राजस्व	४,३५,००,०००	०	४,३५,००,०००
००६.	वित्त				
		पूंजी	९०,००,००,०००	०	९०,००,००,०००
००७.	वाणिज्यिक कर				
		राजस्व	२५,८९,००,०००	०	२५,८९,००,०००
००८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन				
		राजस्व	१६,२१,१०,०००	०	१६,२१,१०,०००
०१२.	ऊर्जा				
		राजस्व	११,००,००,००,१००	०	११,००,००,००,१००
		पूंजी	११,२३,३०,००,०००	०	११,२३,३०,००,०००
०१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास				
		राजस्व	१०,००,००,००,०००	०	१०,००,००,००,०००
०१४.	पशुपालन एवं डेयरी				
		राजस्व	३०,००,००,०००	०	३०,००,००,०००
०१५.	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण				
		राजस्व	१,०४,००,०००	०	१,०४,००,०००
०१७.	सहकारिता				
		पूंजी	५,००,००,००,०००	०	५,००,००,००,०००
०१८.	श्रम				
		राजस्व	१,०५,००,००,०००	०	१,०५,००,००,०००
०१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
		राजस्व	९,३३,०४,९२,०००	०	९,३३,०४,९२,०००
		पूंजी	१,२६,२५,००,१००	०	१,२६,२५,००,१००
०२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
		पूंजी	३,००,००,००,०००	०	३,००,००,००,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
०२२.	नगरीय विकास एवं आवास				
		राजस्व	२,००,००,००,०००	०	२,००,००,००,०००
		पूंजी	१८,८१,५३,००,०००	०	१८,८१,५३,००,०००
०२३	जल संसाधन				
		पूंजी	११,५९,५०,००,४००	०	११,५९,५०,००,४००
०२४	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल				
		राजस्व	१,५०,००,००,०००	०	१,५०,००,००,०००
		पूंजी	२४,२४,००,००,०००	०	२४,२४,००,००,०००
०२६	संस्कृति				
		राजस्व	२०,००,०००	०	२०,००,०००
०२९	विधि और विधायी कार्य				
		राजस्व	४,२३,००,०००	१,००,००,०००	५,२३,००,०००
०३०	ग्रामीण विकास				
		राजस्व	२९,५६,००,००,०००	०	२९,५६,००,००,०००
०३१	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी				
		राजस्व	९२,८९,४५४	०	९२,८९,४५४
०३२	जनसंपर्क				
		राजस्व	४३,००,००,०००	०	४३,००,००,०००
०३३	जनजातीय कार्य				
		राजस्व	२००	०	२००
		पूंजी	२००	०	२००
०३४	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	राजस्व	५०,००,०००	०	५०,००,०००
०३५	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम				
		राजस्व	१,००,००,१००	०	१,००,००,१००
०३६	परिवहन				
		राजस्व	१००	०	१००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
०३८	आयुष				
		राजस्व	४९,७२,९९,०९१	०	४९,७२,९९,०९१
०३९	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.				
		राजस्व	३,०३,००,०००	०	३,०३,००,०००
		पूंजी	५,००,००,००,०००	०	५,००,००,००,०००
०४०	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर).				
		राजस्व	२५,००,००,०००	०	२५,००,००,०००
		पूंजी	१००	०	१००
०४३.	खेल और युवा कल्याण				
		राजस्व	१०,६९,००,०००	०	१०,६९,००,०००
०४४.	उच्च शिक्षा				
		राजस्व	२०,००,००,१००	०	२०,००,००,१००
०४६.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी				
		राजस्व	१३,००,१००	०	१३,००,१००
०४७.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.				
		राजस्व	१,९२,०३,०००	०	१,९२,०३,०००
		पूंजी	१,४५,४८,०००	०	१,४५,४८,०००
०४८.	नर्मदा घाटी विकास				
		राजस्व	८८,००,०००	०	८८,००,०००
		पूंजी	३१,८५,४८,००,०००	०	३१,८५,४८,००,०००
०४९.	अनुसूचित जाति कल्याण				
		राजस्व	९६,०२,४१,२००	०	९६,०२,४१,२००
		पूंजी	१००	०	१००
०५२.	चिकित्सा शिक्षा				
		राजस्व	१,४६,७५,००,०००	०	१,४६,७५,००,०००
		पूंजी	९८,४९,०००	०	९८,४९,०००
०५३.	लोक निर्माण कार्य-भवन				
		राजस्व	९८,००,००,०००	०	९८,००,००,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
०५५.	महिला एवं बाल विकास				
		राजस्व	२,६९,९०,२००	०	२,६९,९०,२००
०५६.	कुटीर एवं ग्रामोद्योग				
		राजस्व	२,००,००,२००	०	२,००,००,२००
०५७.	पर्यावरण				
		राजस्व	४,००,००,०००	०	४,००,००,०००
०६२	पंचायत				
		राजस्व	५,००,००,००,०००	०	५,००,००,००,०००
०६४.	पिछड़ा वर्ग कल्याण				
		राजस्व	१,००,५०,२५,६००	०	१,००,५०,२५,६००
०६५.	विमानन				
		राजस्व	१९,००,००,०००	०	१९,००,००,०००
	योग :	राजस्व :	७६,५२,६८,०१,७४५	२५,१२,६३,९१,०००	१,०१,६५,३१,९२,७४५
		पूंजी :	१,१४,१९,२६,४७,९००	०	१,१४,१९,२६,४७,९००
		वृहद-योग :	१,९०,७१,९४,४९,६४५	२५,१२,६३,९१,०००	२,१५,८४,५८,४०,६४५

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २० दिसम्बर, २०२१

जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७(३) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.